अन्तर्गत – निर्मल कुमार बनाम सरकार
प्रकरण सं. 151/2025

13.9.25

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त यादव द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट. वास्ते नाम शुद्धि का पेश किया गया है, जिसमें आज राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी में नाम दुरूस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य नायबतहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर चक 4 सी बड़ी, पटवार हल्का ओड़की, भु.अभि. नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/22 के मुरब्बा नं. 49, 74/49 के मुरब्बा नं. 49, 109/71 के मुरब्बा नं. 47, 108/70 के मुरब्बा नं. 47 की जमाबन्दी में निर्मल चंद पुत्र दुनी चंद व निर्मल चंद पुत्री दुनी चंद को दुरूस्त कर निर्मल कुमार पुत्र दुनी चंद दर्ज करने का आदेश जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार को वास्ते राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
श्रीगंगानगर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
श्रीगंगानगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:13:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner